

सरबरक

(कायदा 129)

[General Rules (Civil), Rule 129, Appendix 'B', Form No. 8]

1. नाम अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर रोहट (पाली)
2. किस्म मुकदमा राजस्व वाद 72/2013 द्वारा 53.188 RAAT
3. अनवान मुकदमा नम्रता कुमारी बनाम अन्तर कंवर वर्मा
4. नम्बर व सन् मुकदमा राजस्व वाद 72/2013
5. तारीख दायरा 11/07/2012
- तारीख फैसला
7. तारीख दाखिल होने मुहाफिजखाना
8. अपील या निगरानी की तारीख फैसला
9. किस्म मिसल या हिस्सा
10. किस्म रेकर्ड
11. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलब करना है
- (ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलब किया गया है
12. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलब करना है
- (ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलब किया गया है
13. (अ) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलब करना है
- (ब) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलब किया गया है
14. (अ) तारीख जिस पर कि भाग 'ए' तलब करना है



वादी
नम्रताकुमारी

बनाम

प्रतिवादी
अन्तरकवर वगैरह

किरम मुकदमा : राजस्व वाद

नम्बर 72/2013 सन 2012

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
1.07.2012	<p>वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा यह राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगाय 10 के अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः यह वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मन तलब किये जाकर पत्रावली दिनांक 13/8/12 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उप जिला कलेक्टर रोहट (जिला-पाली)</p> <p>वकील वादी द्वारा अन्तर्गत संख्या 1 लगाय 10 तक के सम्बन्धी सम्मन वाद वास्तविक रूप में पत्र अन्तर्गत 3 तक का सम्मन वास्तविक रूप में वास्तविक रूप में वास्तविक रूप में P/F व सम्मन पत्र वगैरह होने में अन्तर्गत सं. 3 तक का सम्मन प्राप्त हो अन्तर्गत संख्या 6, 7, 8 व 9 का वाद से ही सम्मन पत्रों ने वास्तविक रूप में पत्र जो वाद विषय में वास्तविक रूप में वास्तविक रूप में वास्तविक रूप में वास्तविक रूप में वास्तविक रूप में वास्तविक रूप में वास्तविक रूप में का पत्र है</p>	<p>12/17 12-7-12</p>

13/8/12

